उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या-35/2024/सा-3-491/दस-2024-301(2)/2024

लखनऊ: दिनांक 08 नवम्बर, 2024

<u>अधिसूचना</u>

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल "उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (संशोधन) नियमावली, 2024 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 6 का संशोधन — 2-उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 में, नियम 6 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (10) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(10) यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुये अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त ग्रेच्युटी की धनराशि प्राप्त किये बिना हो जाती है और उसने अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ा है और न ही कोई नामांकन किया है, या उसके द्वारा किया गया नामांकन अस्तित्व में नहीं है, तो उसे देय मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की धनराशि सरकार को व्यपगत हो जायेगी।	(10) यदि किसी अधिकारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के उपरान्त उपदान की धनराशि प्राप्त किये बिना हो जाती है और ऐसे अधिकारी जो अपने पीछे कोई परिवार नही छोड़ा हो और न ही कोई नामांकन किया हो या उसके द्वारा किया गया नामांकन अस्तित्व में नहीं हो, तो इस नियमावली के अधीन उसे देय मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की धनराशि सरकार को व्यपगत हो जायेगी। यद्यपि सेवानिवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान की धनराशि का भुगतान उस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	व्यक्ति को किया जा सकता है जिसके पक्ष में किसी न्यायालय द्वारा प्रश्नगत उपदान के संबंध में, एक उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया हो।

आज्ञा से,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 35/2024/G-3-491/10-2024/301(2)/2024, dated November 08, 2024 :

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
VITTA SAMANYA ANUBHAG-3

No. 35/2024/G-3-491/10-2024-301(2)/2024

Dated Lucknow, November 08, 2024

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Retirement Benefits Rules, 1961.

THE UTTAR PRADESH RETIREMENT BENEFITS (AMENDMENT) RULES, 2024

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Retirement (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 6

2. In the Uttar Pradesh Retirement Benefits Rules, 1961 in rule 6, the existing sub-rule (10) set out in column-1 below, the sub-rule as set out in column-2, shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing sub-rule	Column-2 Sub-rules as hereby substituted
(10) If an officer dies while in service or after retirement without receiving the amount of gratuity and such officer leaves behind no family and has made no nomination or the nomination made by him does not subsist, the amount of death-cum-retirement gratuity payable to him under these rules shall lapse to Government.	(10) If an officer dies while in service or after retirement without receiving the amount of gratuity and such officer leaves behind no family and has made no nomination or the nomination made by him does not subsist, the amount of death-cum-retirement gratuity payable to him under these rules shall lapse to Government. However, the amount of retirement gratuity or death gratuity may be paid to the person in whose favour a Succession Certificate in respect of the gratuity in question has been granted by a Court of law.

By order,

DEEPAK KUMAR
Apar Mukhya Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।